

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 9.    | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। | नहीं  |
| 10.   | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा  | अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है० से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - ..... से ..... पर चस्पा है।   |
| (i)   | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।   | चूंकि अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है० से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - ..... से ..... पर चस्पा है।   |
| (ii)  | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।  | प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़ी भूमि पर उचित वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को 1:50000 पैमाने के टोपोशीट मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया है। तथा स्थलीय /लोकेशन मानचित्र प्राक्कलन के साथ संलग्न है।  |
| (iii) | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।  | प्रजातियां:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां।<br>कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग।<br>समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर।<br>लागत:- प्रस्तावित निर्माण कार्य के बदले प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रू० ..... (रू० . ..... मात्र) का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - ..... से ..... पर चस्पा है। |
| (iv)  | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।  | हेतु रू० ..... (रू० ..... मात्र)  |
| (v)   | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)           | प्राक्कलन एवं मानचित्र प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित है।  |
| 11.   | उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 ;गपए गपपद्धए 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें )   | फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारियों, फील्ड स्टाफ, राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके के संलग्नक पृष्ठ सं० - ..... पर चस्पा है।  |
| 12.   | विभाग/जिला प्रोफाइल   | डुण्डा वन प्रभाग /जिला- उतरकाशी   |
| (i)   | जिले का भौगोलिक क्षेत्र   | ..... वर्ग कि०मी०   |
| (ii)  | जिले का वन क्षेत्र  | ..... वर्ग कि०मी०   |
| (iii) | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र  | कुल मामलों की संख्या 94 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल ..... है० वन क्षेत्र है० है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र ..... है० है।   |
| (iv)  | 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण<br>(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :-<br>(ख) वनेतर भूमि पर:-   | (क) ..... हैक्टयर<br>(ख) रिक्त  |
| (v)   | अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:-<br>(क) वन भूमि पर<br>(ख) वनेत्तर भूमि पर  | (क) 1- ..... है० / ..... में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है।<br>(ख) रिक्त   |
| 13.   | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश   | प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रजनन क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक/ कार्यदायी संस्था के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।  |

दिनांक: - -2017।  
स्थान:- उतरकाशी

हस्ताक्षर  
नाम:- ( )  
सरकारी मुहर